International Advance Journal of Engineering, Science and Management (IAJESM)
Multidisciplinary, Indexed, Double Blind, Open Access, Peer-Reviewed, Refereed-International Journal.
SJIF Impact Factor =7.938, January-June 2024, Submitted in April 2024, ISSN -2393-8048

जेंडर और समानता से सामाजिक परिवर्तन

भावना लटवाल, शोधार्थी, शिक्षा विभाग, श्री जगदीशप्रसाद झाबरमल टीबड़ेवाला विश्वविद्यालय, झुंझनू, राजस्थान
डॉ रामप्रताप सैनी, शोध निर्देशक, शिक्षा विभाग, श्री जगदीशप्रसाद झाबरमल टीबड़ेवाला विश्वविद्यालय, झुंझनू, राजस्थान

सारांश

जेंडर समानता न केवल एक मौलिक मानव अधिकार है, बल्कि एक शांतिपूर्ण, समृद्ध और सतत विश्व के लिए एक आवश्यक आधार भी है। जेंडर का तात्पर्य महिलाओं और पुरुषों की सामाजिक रूप से निर्मित विशेषताओं से हैं, जैसे मानदंड, भूमिकाएं और महिलाओं व पुरुषों के समूह के बीच संबंध। यह समाज से समाज में भिन्न होता है और बदला जा सकता है। जेंडर एक सामाजिक निर्मित है जो बच्चा, समाजीकरण की प्रक्रिया द्वारा समाज के नियम एवं मानदंडों को सीखना और व्यवहार में लाता है। जेंडर में पुरुषों और महिलाओं दोनों को समान सदस्यों के रूप में इच्छानुसार सभी प्रकार की सामाजिक गतिविधियों में भाग लेने, समान रूप से राजनीतिक आर्थिक और सांस्कृतिक लाभों का आनंद लेने और जिम्मेदारियों को सांझा करने का अवसर मिलता है। ऐसे समझ में पुरुषों और महिलाओं के मानवाधिकारों का समान रूप से सम्मान किया जाता है। हमारे समाज में जेंडर यानी लिंग भेदभाव की जड़े बहुत गहरी है, जिसे हम रोजमर्रा के जीवन में पल प्रतिपल देखते और महसूस करते हैं। जेंडर से जुड़ी और असमानताएं अन्य तरह के भेदभाव को भी जन्म देती हैं। पिछली शताब्दी में लैंगिक समानता में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है, फिर भी दुनिया भर के समाजों में लिंग भूमिकाओं की काफी उपस्थिति बनी हुई है, जिसका अर्थ है संयुक्त व्यवहार, उपस्थिति और दृष्टिकोण जो समाज व्यक्तियों के लिंग के आधार पर किसी व्यक्ति के लिए अपेक्षा करता है और उचित मानता है।

बीज-शब्द: जेंडर, समानता, लैंगिक समानता, लैंगिक असमानता, सामाजिक परिवर्तन, महिला सशक्तिकरण आदि।

प्रस्तावना-

हर बच्चा अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचाने का हकदार है, लेकिन उनके जीवन में लैंगिक असमानता और उनके लिए देखभाल करने वालों के जीवन में इस वास्तविकता में बाधा है। जेंडर समानता लिंग के आधार पर किसी भी भेदभाव का अभाव है, जिसमें सभी के लिए समान अधिकार, जिम्मेदारियां और अवसर है, बिना उनके लिंग के आधार पर भेदभाव के। इसका मतलब है महिलाओं और गैर बाइनरी लोगों के लिए उपलब्ध अफसरों, विकल्पों और संसाधनों के वितरण को बदलना ताकि उनके पास अपने जीवन को आकार देने और प्रक्रिया में भाग लेने की समान शक्ति हो जिसमें सभी लिंग के लोगों के बीच समानता बढ़े। अधिकार, जिम्मेदारियां और अवसर उस लिंग पर निर्भर नहीं होंगे जो समाज प्रत्येक व्यक्ति को देता है यह सुनिश्चित करते हुए कि सभी को सामाजिक,आर्थिक और राजनीतिक रूप से मूल्यवान वस्तुओं,संसाधनों, अवसरों, लाभों और सेवाओं तक समान पहुंच प्राप्त हो। लोगों की समाज में भाग लेने की क्षमता, अवसर और गरिमा में कैसे सुधार किया जा रहा है, यह इस बात को निष्पक्ष बनता है। जेंडर समानता महिलाओं और पुरुषों के प्रति निष्पक्ष होने की प्रक्रिया है। निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए महिलाओं के ऐतिहासिक और सामाजिक नुकसान की भरपाई के लिए रणनीतियां और उपाय अक्सर उपलब्ध होने चाहिए, जो महिलाओं और पुरुषों को समान स्तर पर काम करने से रोकते हैं। समाज में जाति, भाषा, धर्म, रंग, प्रजाति, देश, जन्मस्थान, आदि के आधार पर मनुष्य, मनुष्यों से भेदभावपूर्ण व्यवहार सदियों से करता आया है। इसी प्रकार का एक भेदभाव है लैंगिकता को लेकर किया जाने वाला भेदभाव। स्त्री - पुरुष दोनों ही ईश्वर की अमूल्य कृतियां है, या

यह कह सकते हैं कि एक व्यक्ति की दोनों आंखों के समान है, फिर भी स्त्रियों को सदैव पुरुषों की अपेक्षा नीचे समझा जाता है, उनसे सम्मानपूर्ण तथा बराबरी का व्यवहार नहीं किया जाता है।

जेंडर और समानता-

जेंडर शब्द का संबंध प्रारंभ में लिंग अर्थात् स्त्रीलिंग व पुल्लिंग से हो रहा। जीव विज्ञान के अनुसार लिंग जैविक निर्धारक है लेकिन मनोविज्ञान के अनुसार लिंग एक सामाजिक संरचना है। जेंडर एक ऐसा मुखौटा, वेश तथा कवच है जिसमें स्त्री व पुरुष एक आसमान नृत्य करते हैं। जेंडर समानता महिलाओं और पुरुषों दोनों के लिए समान अधिकारों जिम्मेदारियों ,अवसरों से हैं। महिलाओं और पुरुषों के विभिन्न समूहों की विविधता को पहचानते हुए, महिलाओं और पुरुषों दोनों के हितों, ज़रूरतों और प्राथमिकताओं को ध्यान में रखा जाता है। जेंडर एक सामाजिक निर्मित है। हमारे समाज में जेंडर यानी लिंग भेदभाव की जड़ी बहुत गहरी हैं, जिसे हम रोजमर्रा के जीवन में पल प्रतिपल देखते और महसूस करते हैं। जेंडर से जुड़ी असमानताएं अन्य तरह के भेदभाव को भी जन्म देती है। हमारे समाज में लिंग भेद और उससे उपजे भेदभाव लगभग सभी सामाजिक, सांस्कृतिक,आर्थिक व राजनीतिक प्रक्रियाओं में गुंथे हुए हैं। समस्या महिलाओं या पुरुषों के अलग होने में नहीं, बल्कि पुरुषों को महिलाओं से प्रधान मान लेने में है। महिलाओं को पुरुषों से कम आंकने व उन्हें कम सुविधाएं देने का चलन प्राचीन है। समाजीकरण की व्यवस्था इस भेदभावपूर्ण प्रक्रिया को निरंतर पोषित करने का कार्य करती रही है, जहां लड़के व लड़कियों को ऐसे परंपरागत समाज के लिए तैयार किया जाता है और उन्हें उनकी जेंडर भूमिकाएं सिखाई जाती है। भारतीय संविधान के मूल में समानता की नींव रखते हुए महिलाओं व पुरुषों को बराबरी तक पहुंचाने का स्वप्न स्वतंत्र भारत में देखा गया परंतु उसे समय हमारे समाज में महिलाओं की स्थिति और भी दयनीय थी। कानूनी रूप से बराबरी का अधिकार वह सामाजिक रूप से रुढ़ीगत नीतियों को चुनौती दे पा रहे हैं या उन्हें और मजबूती प्रदान कर रहे हैं।

समानता एक सुंदर और सुरक्षित समाज की वह नींव है जिस पर विकास रूपी इमारत बनाई जा सकती है। लैंगिक समानता का सीधा अर्थ समाज में महिला व पुरुष के समान अधिकार, दायित्व तथा रोजगार के अवसरों के परिप्रेक्ष्य में है। समाज में लैंगिक असमानता सोच समझकर बनाई गई एक खाई है जिससे समानता के स्तर को प्राप्त करने का सफर बहुत मुश्किल हो जाता है। हमारे समाज के विकास के लिए लैंगिक समानता अति आवश्यक है। महिला और पुरुष समाज के मूल आधार है। समाज में लैंगिक असमानता सोच समझ कर बनाई गई एक खाई है, जिससे समानता के स्तर को प्राप्त करने का सफर बहुत मुश्किल हो जाता है। लैंगिक समानता एक मूलमंत्र नहीं है, यह एक मौलिक मानवाधिकार है जिसे दुनिया पर महत्वपूर्ण प्रभाव है। लैंगिक समानता का सिद्धांत यह निर्देश देता है कि सभी व्यक्तियों को, चाहे उनका लिंग कुछ भी हो, समान अधिकार, जिम्मेदारियां और अवसर दिए जाने चाहिए। दुनिया भर में, लैंगिक असमानता बनी हुई है, जिससे व्यापक आर्थिक राजनीतिक और सामाजिक असमानताएं पैदा हो रही हैं।

लैंगिक समानता के लिए संघर्ष-

लैंगिक समानता की जड़ें प्राचीन सभ्यताओं में हैं, जहां महिलाओं ने शासन, धर्म और सामाजिक संरचनाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। हालाँकि, जैसे-जैसे समाज विकसित हुआ, पितृसत्तात्मक व्यवस्थाएँ उभरीं, महिलाओं को अधीनस्थ भूमिकाओं में धकेल दिया गया। 20वीं सदी में महिलाओं के मताधिकार आंदोलनों, विधायी परिवर्तनों और नारीवादी विचारधाराओं के उदय के साथ लैंगिक समानता पर नए सिरे से ध्यान केंद्रित किया गया।कई देशों ने लैंगिक समानता को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण प्रगति की है। समान वेतन अधिनियम और भेदभाव-विरोधी कानूनों जैसे विधायी सुधारों से

लेकर शिक्षा और मीडिया द्वारा संचालित सांस्कृतिक बदलाव तक, दुनिया के कई हिस्सों में सकारात्मक बदलाव हुए हैं।

भारत में लैंगिक असमानता-

भारत में लैंगिक असमानता भारत में पुरुषों और महिलाओं के बीच स्वास्थ्य, शिक्षा, आर्थिक और राजनीतिक असमानताओं से है। भारत में लैंगिक असमानता एक बहुआयामी मुद्दा है जो मुख्य रूप से महिलाओं से संबंधित है, लेकिन पुरुषों को भी प्रभावित करता है।महिलाओं को प्राचीन काल से ही भेदभाव का सामना करना पड़ा है और आज भी यह किसी न किसी रूप में प्रकट होता है। भारत में, लैंगिक असमानता काफी जटिल है क्योंकि यह कई क्षेत्रों में, कई तरीकों से मौजूद है, और बदलते समय के साथ इसने अलग-अलग चेहरे हासिल किए हैं। आज, विश्व के साथ साथ भारत में लैंगिक असमानता को दूर करने के लिए महिला सशक्तिकरण एक मुख्य चालक रहा है। राजनीति, सिनेमा, खेल, व्यवसाय आदि जैसे विभिन्न क्षेत्रों में अपने असाधारण प्रदर्शन के माध्यम से महिलाओं ने अब रूढ़िवादी राय को बदल दिया है। इसका मुख्य उद्देश्य भारत में लैंगिक असमानता को दूर करना है। हालाँकि भारत का संविधान पुरुषों और महिलाओं को समान अधिकार देता है, लेकिन लैंगिक असमानताएँ बनी हुई हैं।

लैंगिक असमानता के विभिन्न क्षेत्र-

1. **सामाजिक क्षेत्र में-** भारतीय समाज में प्रायः महिलाओं को घरेलू कार्य के ही अनुकूल माना गया है। घर में महिलाओं का मुख्य कार्य भोजन की व्यवस्था करना और बच्चों के लालन-पालन तक ही सीमित है। अक्सर ऐसा देखा गया है कि घर में लिये जाने वाले निर्णयों में भी महिलाओं की कोई भूमिका नहीं रहती है। महिलाओं के मुद्दों से संबंधित विभिन्न सामाजिक संगठनों में भी महिलाओं की न्यूनतम संख्या लैंगिक असमानता के विकराल रूप को व्यक्त करती है।
2. **आर्थिक क्षेत्र में-** आर्थिक क्षेत्र में कार्यरत महिला और पुरुष के पारिश्रमिक में अंतर है। औद्योगिक क्षेत्र में प्रायः महिलाओं को पुरुषों के सापेक्ष कम वेतन दिया जाता है। इतना ही नहीं रोज़गार के अवसरों में भी पुरुषों को ही प्राथमिकता दी जाती है।
3. **राजनीतिक क्षेत्र में-** सभी राजनीतिक दल लोकतांत्रिक होते हुए समानता का दावा करते हैं परंतु वे न तो चुनाव में महिलाओं को प्रत्याशी के रूप में टिकट देते हैं और न ही दल के प्रमुख पदों पर उनकी नियुक्ति करते हैं।
4. **विज्ञान के क्षेत्र में-** जब हम वैज्ञानिक समुदाय पर ध्यान देते हैं तो यह पाते हैं कि प्रगतिशीलता की विचारधारा पर आधारित इस समुदाय में भी स्पष्ट रूप से लैंगिक असमानता विद्यमान है। वैज्ञानिक समुदाय में या तो महिलाओं का प्रवेश ही मुश्किल से होता है या उन्हें कम महत्त्व के प्रोजेक्ट में लगा दिया जाता है। यह विडंबना ही है कि हम मिसाइल मैन के नाम से प्रसिद्ध स्वर्गीय ए. पी.जे अब्दुल कलाम से तो परिचित हैं लेकिन मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया टेसी थॉमस के नाम से परिचित नहीं हैं।
5. **मनोरंजन क्षेत्र में-** मनोरंजन के क्षेत्र में अभिनेत्रियों को भी इस भेदभाव का शिकार होना पड़ता है। अक्सर फिल्मों में अभिनेत्रियों को मुख्य किरदार नहीं समझा जाता और उन्हें पारिश्रमिक भी अभिनेताओं की तुलना में कम मिलता है।
6. **खेल क्षेत्र में-** खेलों में मिलने वाली पुरस्कार राशि पुरुष खिलाड़ियों की बजाय महिला खिलाड़ियों को कम मिलती हैं। चाहे कुश्ती हो या क्रिकेट हर खेल में भेदभाव हो रहा है। इसके साथ ही, पुरुषों के खेलों का प्रसारण भी महिलाओं के खेलों से ज्यादा है।

भारत में लैंगिक असमानता के कारण-

1. भारतीय समाज में पितृसत्तात्मक व्यवस्था-

सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक प्रगति के बावजूद वर्तमान भारतीय समाज में पितृसत्तात्मक मानसिकता जटिल रूप में व्याप्त है। इसके कारण महिलाओं को आज भी एक ज़िम्मेदारी समझा जाता है। महिलाओं को सामाजिक और पारिवारिक रुढ़ियों के कारण विकास के कम अवसर मिलते हैं, जिससे उनके व्यक्तित्व का पूर्ण विकास नहीं हो पाता है।

2. शिक्षा का अभाव-

भारत में पुरुषों और महिलाओं की साक्षरता दर के बीच असमानता एक ज्ञात मुद्दा है। कुछ क्षेत्रीय राज्यों में असमानता अधिक है, जबकि कुछ अन्य राज्यों में बेहतर असमानता है। समस्या यह नहीं है कि भारत में साक्षर महिलाएं कम हैं, बल्कि समस्या यह है कि महिलाओं में अपने अधिकारों के उपयोग के प्रति जागरूकता की कमी है।

3. महिलाओं में जागरूकता की कमी-

लैंगिक असमानता का एक प्रमुख कारण महिलाओं में अपने अधिकारों और समानता हासिल करने की उनकी क्षमता के बारे में जागरूकता की कमी है। जागरूकता की यह कमी प्रचलित सांस्कृतिक और सामाजिक मानदंडों के कारण होती है, जो यह निर्देश देती हैं कि महिलाओं को पुरुषों के अधीन रहना चाहिए। इन बाधाओं को तोड़ना और महिलाओं को अपने अधिकारों के बारे में अधिक जागरूक बनने में मदद करना महत्वपूर्ण है ताकि वे समानता की मांग कर सकें।

लैंगिक असमानता की समाप्ति के उपाय-

1. समाज की मानसिकता में परिवर्तन-

समाज की मानसिकता में धीरे-धीरे परिवर्तन आ रहा है जिसके परिणामस्वरूप महिलाओं से संबंधित मुद्दों पर गंभीरता से विमर्श किया जा रहा है। तीन तलाक, हाज़ी अली दरगाह में प्रवेश जैसे मुद्दों पर सरकार तथा न्यायालय की सक्रियता के कारण महिलाओं को उनका अधिकार प्रदान किया जा रहा है।

2. जन शिक्षा का प्रसार-

स्त्री - पुरुष में तब तक भेदभाव की स्थिति बनी रहेगी जब तक जनसाधारण के मध्य शिक्षा का प्रचार प्रसार नहीं हो जाता हैं, वास्तविक अर्थों में भारतीय विशाल जैन समूह के मानस को शिक्षित करना होगा, जिस लड़के लड़कियों के लिंग को लेकर जो पूर्वाग्रह है उससे वह मुक्त होकर ईश्वर की दोनों कृतियों का सम्मान कर सके।

3. जागरूकता लाना-

भारतीय समाज में अभी भी जागरूकता की कमी रही है। इसी कारण स्त्री पुरुषों मे वर्षों से चली आ रही भेदभाव की भावना अभी तक जीवित है, जिसको जागरूकता लाकर समाप्त किया जा सकता है।

4. बालिका शिक्षा का प्रसार-

बालिका शिक्षा का व्यापक स्तर पर प्रयास करके भी लिंग विभेदों को कम किया जा सकता है। पढ़ी-लिखी लड़की घर परिवार का बोझ नहीं समझी जाती, अपितु वर्तमान में तो लड़कियां शिक्षित होकर पारिवारिक उत्तरदायित्वों का निर्वहन भी करती है, जिससे लैंगिक भेदभाव में कमी आती है।

लैंगिक समानता और सामाजिक परिवर्तन को प्राप्त करने के कानूनी प्रावधान-

- **भारतीय दंड संहिता-** इसमें बलात्कार, यौन उत्पीड़न, दहेज हत्या और एसिड हमले सहित महिलाओं के खिलाफ अपराधों को संबोधित करने वाले विभिन्न खंड शामिल हैं।

- **घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005**- घरेलू हिंसा की पीड़ित महिलाओं को सिविल मामलों के अधीन न्याय/ उपाय प्रदान किया जाता है और उन्हें सुरक्षा आदेश और निवास अधिकार प्राप्त करने का अधिकार देता है।
- **दहेज प्रतिबंध अधिनियम, 1961**- दहेज देने या लेने को प्रतिबंधित करता है और उल्लंघन के लिए सजा का प्रावधान करता है।
- **सती (निवारण) आयोग अधिनियम, 1987**- सती की प्रथा को दंडनीय अपराध बनाता है, जहां एक विधवा को अपने पति की चिता पर जलने के लिए मजबूर किया जाता है।
- **बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006**- बाल विवाह और उससे जुड़े नुकसानों को खत्म करने के उद्देश्य से बालिकाओं के लिए विवाह की कानूनी आयु बढ़ाकर 18 वर्ष कर दी गई है।

निष्कर्ष-

भारतीय महिलाओं को विश्व स्तर पर विभिन्न क्षेत्रों में प्रभावशाली पदों पर नेतृत्व करते पाया गया है, लेकिन भारत में अभी भी ज्यादातर महिलाओं और लड़कियों को पितृ प्रधान समाज के विचारों मानदंडों परंपराओं और संरचनाओं के कारण अपने अधिकारों का पूर्ण रूप से अनुभव करने की स्वतंत्रता नहीं मिली है। शिक्षा द्वारा अधिक से अधिक लिंग समानता संबंधी बातें सिखानी चाहिए जिससे की लड़कियां और लड़कों को लिंग समानता व संवेदनशीलता के बारे में जानकारी प्राप्त हो सके। किसी राष्ट्र की समग्र भलाई और विकास के लिए लैंगिक समानता पर उच्च अंक प्राप्त करना सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। भारत सरकार ने भी लैंगिक समानता सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाना शुरू कर दिया है। लड़कियों को प्रोत्साहित करने के लिए कई कानून और नीतियां बनाई गई हैं। "बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना" अभियान लड़कियों के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए बनाया गया है। लड़कियों की सुरक्षा के लिए कई कानून भी उपलब्ध है।

संदर्भ

1. ओखले, अंत्र, जेंडर, और सोसायटी, द यूनिवर्सिटी का मिशिगन एरिया पब्लिराड, एसोशिएशन विद यू सोसायटी।
2. चंद जे. सोशियोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ़ एजुकेशन। शिप्रा प्रकाशन, नई दिल्ली, भारत 2010
3. आहूजा राम (2001) सोशल प्रॉब्लम इन इंडिया, रावत पब्लिकेशन्स, जयपुर।
4. अग्रवाल उमेश, भारत में महिला समानता और सशक्तिकरण के प्रयास, योजना नई दिल्ली।
5. आर.पी. तालसेरा एवं डी.पी. शुक्ला, भारतीय नारी, वर्तमान समस्याएं और भावी समाधान,ए.पी.उच. पब्लिकेशन्स , नई दिल्ली।
6. शर्मा, ऋचा (2011), भारत में सामाजिक समस्याएं, सागर पब्लिकेशन, जयपुर।
7. सिंह, अमिता (2015), लिंग एवं समाज, विवेक प्रकाशन, नई दिल्ली।
8. कुमार, हिमांशु, लिंग विद्यालय और समाज, ठाकुर पब्लिकेशन, लखनऊ।